रिपोर्ट करने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 10499/2022

पूर्व कांस्टेबल चालक मुकेश कुमार रेगर - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य - प्रत्यर्थी

निर्णय

बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधिपति

1. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के लिए द्वारा पारित 16.11.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत खण्ड पीठ ने उत्तरदाताओं-भारत संघ (खण्ड पीठ के समक्ष अपीलकर्ता) द्वारा दायर डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 637/2021 को अनुमति दी है, और एकल पीठ द्वारा पारित 17.02.2021 के आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसने वर्तमान याचिकाकर्ता (खण्ड

पीठ के समक्ष प्रतिवादी) द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 17475/2018 को अनुमति दी थी।

2. वर्तमान याचिकाकर्ता को 03.11.2007 पर CISF में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। अप्रैल, 2009 में याचिकाकर्ता को कमांडेंट डिसिप्लिन, सी. आई. एस. एफ. के कार्यालय से सी. आई. एस. एफ. नियम 2001 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 36 के तहत एक नोटिस/आरोप-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन जमा कराते समय इस तथ्य को दबा दिया था कि वह भा.दं.सं. सी. की धारा 323, 324 और 341 के तहत अपराध के लिए एक आपराधिक मामले में शामिल था, जिसके संबंध में उसके खिलाफ 21.10.2003 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। यह कि उक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत करने पर, मामला उक्त न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए लंबित था जब याचिकाकर्ता द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सी. आई. एस. एफ. अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि चूंकि नियुक्ति पत्र के साथ दायर उनके चरित्र प्रमाण पत्र में आपराधिक मुकदमे विचाराधीनता होने के बारे में जानकारी को दबाने का कार्य घोर दुराचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में था, इसलिए वह बहुत अनुशासित पुलिस बल यानी सी. आई. एस. एफ. में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ

अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार प्राथमिकी ली। कमांडेंट अनुशासन, सी. आई. एस. एफ. ने याचिकाकर्ता की कम उम्र और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 6320-6070/- ग्रेड वेतन से एक चरण नीचे Rs.5200-20,200/- के वेतन बैंड ग्रैड पे देकर दंडित किया। हालाँकि, 06.10.2009 पर, उप महानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र), एयर पोर्ट हेड क्वार्टर-नवी मुंबई-ने स्वप्रेरणा संज्ञान लेते हुए दिनांकित 11.07.2009 के आदेश को संशोधित किया और CISF नियम, 2001 के नियम 54 को लागू करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ नए विभागीय जांच के लिए मामले को वापस भेज दिया। उक्त विभागीय जांच का समापन 09.03.2010 पर याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने में हुआ, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक विभागीय अपील दायर की थी, हालांकि, उक्त अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 23.06.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई पुनरीक्षण याचिका, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 23.06.2010 का आरोप लगाया गया था, को भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 21.12.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

3. सी. आई. एस. एफ. के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 8190/2012 दायर की। एकल पीठ ने

दिनांक 16-02-2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित हटाने के आदेश को दरकिनार कर दिया और याचिकाकर्ता को अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एससीसी 471 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अपने मामले पर पुनर्विचार के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया। नियुक्ति प्राधिकरण को उक्त निर्णय के संदर्भ में एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कमांडेंट सी. आई. एस. एफ. इकाई सी. एस. आई. ए., मुंबई ने अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद कहा कि सी. आई. एस. एफ. भारत संघ का एक सशस्त्र बल है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है, इसलिए बल के कर्मियों को उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, और गंभीर अपराधों में याचिकाकर्ता की भागीदारी ने उन्हें ऐसे बल में नियुक्ति से वंचित कर दिया और इसलिए, उन्हें सी. आई. एस. एफ. में कांस्टेबल/जी. डी. के पद के लिए नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

4. याचिकाकर्ता ने फिर से एक रिट याचिका संख्या 17475/2018 दायर की थी जिसमें उक्त आदेश दिनांक 14.05.2018 पर आक्षेप लगाया गया था। एकल पीठ ने फिर से उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया और रिट याचिका को अनुमति दी जिसमें प्रतिवादी को दिनांकित 17.02.2021 के

आदेश के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी ने सिगल बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ खण्ड पीठ के समक्ष विशेष रिट अपील दायर की, जिसे खण्ड पीठ द्वारा विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री आसिफा राशिद मीर ने जोरदार ढंग से कहा कि याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में शामिल था जब वह मुश्किल से लगभग 19 वर्ष का था और उक्त मामले के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच समझौता हुआ था। उनके अनुसार, उक्त समझौते के आधार पर, निचली अदालत ने 21.11.2007 पर मामला बंद कर दिया था, और याचिकाकर्ता को 03.11.2007 पर CISF में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने आगे कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए जिसमें याचिकाकर्ता कथित रूप से शामिल था, उक्त मामले विचाराधीनता होने का खुलासा न करने के आधार पर सेवा से हटाने को एक गंभीर कदाचार नहीं कहा जा सकता है, जिसमें सेवा से हटाने की कठोर सजा शामिल है। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ, याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें चलाती है, उसे एकल पीठ द्वारा पारित सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जिसमें याचिकाकर्ता को तुच्छ प्रकृति के मामले में शामिल पाया गया था। उनके अनुसार, भले ही याचिकाकर्ता द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दाखिल करने के समय चरित्र

प्रमाण पत्र दाखिल करने के समय जानबूझकर दमन किया गया था, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, प्रतिवादी द्वारा एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था।

6. प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बाला सुब्रमण्यन ने हालांकि, अदालत को सी. आई. एस. एफ. नियम 2001 में ले जाते हुए, सी. आई. एस. एफ. सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी. ए. पी. एफ.) पर लागू होने वाले उन उम्मीदवारों के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देशों के संबंध में लागू होने वाले परिपत्र, जिनके खिलाफ ओ. एम. दिनांकित ओ. एम. द्वारा आपराधिक मामले लंबित हैं, सूचना के दमन से निपटने या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के लिए, प्रस्तुत किया कि सी. आई. एस. एफ. बहुत अनुशासित पुलिस बल है और कांस्टेबल का पद बहुत संवेदनशील पद है, याचिकाकर्ता जिसे नियुक्ति के समय आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के भौतिक तथ्य को दबाने के घोर कदाचार का दोषी पाया गया था, सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता था, और खण्ड पीठ ने इन तथ्यों पर सही विचार किया है।

7. तत्काल मामले में, दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने अवतार सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया

और इस न्यायालय के विभिन्न पिछले फैसलों पर विचार करने के बाद, पैरा 38 में सिद्धांतों का सारांश दिया था जो निम्नानुसार हैः

> "38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैंः
>
> 38.1. एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, दोषमुक्ति जाने या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले विचाराधीनता होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।
>
> 38.2 गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।
> 38.3. नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता हैः

38.4.1. तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है।38. 4. 2. जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक

तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5 ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले विचाराधीनता होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

38.7 कई लंबित मामलों के संबंध में जानबूझकर तथ्य को दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की

नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8. यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9 यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो दबाव डालने या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर बर्खास्तगी/हटाने या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10 दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है तो फिटनेस के सवाल को संबोधित करते समय उसी पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत

करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11 इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

8. यह ध्यान दिया जा सकता है कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अवतार सिंह के मामले में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के बाद भी, इस न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए थे। इसलिए, यह न्यायालय सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ व अन्य (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1300, के मामलों में लिए गए असंगत विचारों को ध्यान में रखने के बाद, भारत संघ व अन्य बनाम मेथु मेदा (2022) 1 एससीसी 1; भारत संघ बनाम दिलीप कुमार मलिक (2022) 6 स्केल 108; पवन कुमार बनाम भारत संघ व अन्य (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 532; राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाम अन्य बनाम अनिल कांवरिया (2021) 10 एससीसी 136; मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम अन्य (2019) 17 एस. सी. सी. 696; आदि, ने आगे निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित कियाः

"89. इस न्यायालय द्वारा समय की अवधि में दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर गौर करने

का एकमात्र कारण यह है कि इस विषय को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत थोड़े असंगत हैं। अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में वृहद पीठ 9 के फैसले के बाद भी विभिन्न अदालतों ने अलग-अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।

90. ऐसी परिस्थितियों में, हमने कानून के व्यापक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ अभ्यास किया, जिन्हें वर्तमान प्रकृति के मुकदमों पर लागू किया जाना चाहिए। सिद्धांत इस प्रकार हैंः

क) प्रत्येक मामले की संबंधित लोक नियोक्ता द्वारा, अपने नामित अधिकारियों द्वारा से, पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए-विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के आदेश्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता में विश्वास पैदा आदेशने की उनकी योग्यता समाज की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है। [राज कुमार (ऊपर) देखें]

ख) ऐसे मामले में भी जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई और सही घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार

है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपराधिक मामले में दोषमुक्ति से उम्मीदवार को स्वतः ही पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह अभी भी नियोक्ता के लिए खुला रहेगा कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या संबंधित उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त और उपयुक्त है।

ग) गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि आदि से संबंधित भौतिक जानकारी को छिपाने और सत्यापन प्रपत्र में गलत बयान देने का कर्मचारी के चरित्र, आचरण और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने अपनी योग्यता या पद के लिए उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

घ) युवाओं, करियर की संभावनाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में सामान्यीकरण जो अपराधियों के आचरण को क्षमा करने का कारण बनते हैं, न्यायिक फैसले में शामिल नहीं होने चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।

ङ) न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या संबंधित प्राधिकरण, जिसकी कार्रवाई को चुनौती दी जा रही है, ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है।

च) क्या प्राधिकरण के निर्णय में पक्षपात का कोई तत्व है?

छ) क्या संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी?"

9. अवतार सिंह (ऊपर) और सतीश चंद्र यादव (ऊपर) के मामले में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रतिवादी-प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की थी। अवतार सिंह के मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को सी. आई. एस. एफ. में नियुक्त किया गया था, बल में उनके नामांकन के समय उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया और तथ्यों को जानबूझकर दबाया गया था जो एक भयावह परिस्थिति थी। यह भी माना गया कि सी. आई. एस. एफ. भारत संघ का एक सशस्त्र बल होने के नाते, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, मेट्रो, बिजली और इस्पात जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा

कर्तव्य आदि के लिए तैनात है और इसलिए, बल के कर्मियों को उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है और ऐसे गंभीर अपराधों में 11 याचिकाकर्ताओं की भागीदारी ने उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया। प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों के इस तरह के सुविचारित और सुविचारित निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकल पीठ द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब दुर्भावनापूर्ण या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करने या वैधानिक नियमों के भंग का कोई आरोप प्रत्यर्थी अधिकारियों के खिलाफ नहीं लगाया गया था।

10. उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम बिद्याभूषण महापात्रा आकाशवाणी 1963 एससी 779 के मामले में संविधान पीठ ने 1963 में कहा था कि स्थापित दुराचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, दंड देने वाले प्राधिकरण के पास सजा देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए खुला नहीं था। बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 749 के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी माना था कि न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को उचित व्यवहार प्राप्त हो और यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कि प्राधिकरण जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह अदालत की नजर में

आवश्यक रूप से सही है। जब किसी लोक सेवक द्वारा 12 कदाचार के आरोपों की जांच की जाती है, तो न्यायालय या न्यायाधिकरण केवल यह निर्धारित करने की सीमा तक संबंधित होगा कि क्या जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या क्या प्राकृतिक न्याय और वैधानिक नियमों का पालन किया गया था।

11. ओम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ 10 में इस न्यायालय ने वेडनसबरी सिद्धांतों और आनुपातिकता के सिद्धांत पर विचार करने के बाद यह भी निर्णय दिया था कि अनुशासनात्मक मामलों में सजा की मात्रा का सवाल मुख्य रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए है, और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का अधिकार क्षेत्र सीमित है और "वेडनसबरी सिद्धांत" 11 के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक या दूसरे की प्रयोज्यता तक सीमित है, अर्थात् क्या आदेश कानून के विपरीत था, या क्या प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया था, या क्या अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया था या क्या निर्णय ऐसा था जिसे कोई उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था।

12. पुनः, उप महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) व अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (2001) 2 एससीसी 386 के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

11 एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम वेड्सबरी कॉर्पोरेशन [1948] 1 KB 22312 (2021) 2 एससीसी 612

"24. इस प्रकार यह तय किया जाता है कि संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि निर्णय के गुण-दोष। यह व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। न्यायालय/न्यायाधिकरण अपचारी के खिलाफ आयोजित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत है या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन है या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष या निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है। यदि निष्कर्ष या निष्कर्ष ऐसा होता कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं पहुंचता या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पहुंचे गए साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष विकृत होते हैं या रिकॉर्ड के सामने या किसी भी सबूत के आधार पर पेटेंट त्रुटि से पीड़ित होते हैं, तो सरशियोरेराई का एक रिट जारी किया जा सकता है। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा का दायरा

तथ्य के रूप में प्राधिकरण के निर्णय की शुद्धता या तर्कसंगतता की जांच तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

25. XXXXXX

26. XXXXXX

27. XXXXXX

28. संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय विभागीय जांच कार्यवाही में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय दुर्भावना या विकृति के मामले के, यानी जहां किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उचित रूप से और निष्पक्षता के साथ उन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकता है और जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक इसे बनाए रखना होगा।"

13. पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया था, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी

अधिकारियों द्वारा पारित हटाने के आदेश में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया था। याचिकाकर्ता को सी. आई. एस. एफ. जैसे अनुशासित बल में प्रवेश करने की सीमा पर घोर कदाचार करते हुए पाया गया है, और प्रतिवादी अधिकारियों ने कानून सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद और दुर्भावना से प्रेरित हुए बिना उसे सेवा से हटाने का आदेश पारित किया है, अदालत संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।

14. इस मामले को ध्यान में रखते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है।

न्यायाधिपति [अजय रस्तोगी]

न्यायाधिपति [बेला एम. त्रिवेदी]

नई दिल्ली

16.01.2023

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।